उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

नवसृजित अनुमण्डल कार्यालय बगोदर–सरिया के कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु **Deemed Forest** भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ, जंगल **Deemed Forest** (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है :–

क्र0	वन भूमि का स्थल (प्रखण्ड)	जिला	वन प्रमण्डल	मौजा का नाम	थाना नं0 116	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	किस्म भूमि
1	बगोदर	गिरिडीह	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	दोन्दलो	116	128	2104	10.00 एकड़	गैरमजरूआ खास, जंगल–झाड़ी

कुल रकवा 10.00 एकड़ में सन्नहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (**Deemed Forest**) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया के तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ, जंगल–झाड़ी (**Deemed Forest**) भूमि के स:शूल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यदेश निर्गत किया जायेगा।

ह0 —

उपायुक्त,गिरिडीह।

ज्ञापांक 92/रा. दिनांक 13-1-2016

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँच को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता भवन प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

13/01/16

उपायुक्त,गिरिडीह।